# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

## (पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या – 17/2016 अपील**

1. श्री दामोदर पुत्र कालु माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
2. श्री राधेश्याम पुत्र कालु माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
3. श्री गिरधारी पुत्र कालु माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
4. श्री ओम प्रकाश पुत्र कालु माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्री कालु पुत्र जगन्नाथ माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
3. श्री जमना लाल पुत्र जगन्नाथ माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
4. श्री पप्पु उर्फ घीसू लाल पुत्र जगन्नाथ माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
5. श्री रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
6. सीता पुत्री जगन्नाथ माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
7. कजोडी पत्नी जगन्नाथ माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
8. श्री शंकर लाल पुत्र भंवरलाल माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
9. श्री गणेश लाल पुत्र भंवरलाल माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर
10. प्यारी देवी पत्नी भंवरलाल माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 53/2014 नामान्तरकरण सं. 4654 निर्णय दिनांक 15.10.2015**

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री कैलाश चन्द्र आचार्य अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 03 की ओर
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट सं. 01 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 23.05.2018

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 53/2014 निर्णय दिनांक 15.10.2018 के खिलाफ दिनांक 04.05.2016 को प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि ग्राम जहाजपुर तहसील जहाजपुर के बैरून हल्के में मृतक जगन्नाथ पुत्र गौरू माली के खातेदारी अधिकार की आराजी सं. 231 रकबा 2.19 एवं आराजी सं. 4896/1 रकबा 6.00 बीघा स्थित थी तथा मृतक जगन्नाथ द्वारा एक वसीयतनामा उपरोक्त आराजी के बाबत् निष्पादित किया गया । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत से नामान्तरकरण सं. 4092 फैसल दिनांक 09.01.2012 के आधार पर खोला गया । जिसकी अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रस्तुत होने पर प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर वसीयतनामा को दृष्टिगत रखते हुये जांच कर अजसरे नवनिर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 53/2014 नामान्तरकरण कायम कर दिनांक 03.09.2015 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया । जिसकी पालना में विवादित नामान्तरकरण सं. 4654 निस्तारित किया गया । उक्त नामान्तरकरण में आराजी सं. 4896/1 का नामान्तरकरण तो मुताबिक वसीयतानुसार निस्तारित किया गया, लेकिन आराजी सं. 231 का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर निस्तारित नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी सं. 231 रकबा 2.19 बीघा को वसीयतकर्ता जगन्नाथ की स्वअर्जित नहीं मानने तथा उक्त आराजी सं. 231 को पैतृक आराजी मान कर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण नहीं करने में भारी भूल की हैं । जबकि उक्त आराजी के पैतृक होने के बाबत् किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक कथन नहीं किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आराजी सं. 231 को पैतृक आराजी मानने में भारी भूल की है। उक्त आराजी सं. 231 रकबा 2.19 बीघा को वसीयतकर्ता जगन्नाथ पुत्र गौरू माली द्वारा उक्त आराजी के तत्कालिन खातेदार श्री मोहन लाल पुत्र रामगोपाल ब्राह्मण से सप्रतिफल विक्रय राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गयी । जिसका अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण सं. 1085 फैसल दिनांक 01.12.2008 को स्वयं तहसीलदार जहाजपुर द्वारा निस्तारित किया गया और आराजी सं. 231 को वसीयतकर्ता जगन्नाथ पुत्र गौरू माली के नाम दर्ज किया गया । इस प्रकार नामान्तरकरण रिकार्ड पर होने के बावजूद भी उक्त आराजी सं. 231 को पैतृक आराजी मानकर जगन्नाथ को वसीयत नहीं करने का अधिकार मान लेने में भारी भूल की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.03.2016 को जारीशुदा प्रमाणित प्रति पढ़ने पर हुयी । जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। कानूनी ऐतराज को रफा करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना हैं

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं. 4654 फैसल दिनांक 15.10.2015 को खारिज फरमाया जाकर मुताबिक वसीयतनुसार अपीलार्थीगण के नाम ही नामान्तरकरण फैसल करने हेतु आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम जहाजपुर तहसील जहाजपुर के बैरून हल्के में मृतक जगन्नाथ पुत्र गौरू माली के खातेदारी अधिकार की आराजी सं. 231 रकबा 2.19 एवं आराजी सं. 4896/1 रकबा 6.00 बीघा स्थित थी तथा मृतक जगन्नाथ द्वारा एक वसीयतनामा उपरोक्त आराजी के बाबत् निष्पादित किया गया । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत से नामान्तरकरण सं. 4092 फैसल दिनांक 09.01.2012 के आधार पर खोला गया । जिसकी अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रस्तुत होने पर प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर वसीयतनामा को दृष्टिगत रखते हुये जांच कर अजसरे नवनिर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 53/2014 नामान्तरकरण कायम कर दिनांक 03.09.2015 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया । जिसकी पालना में विवादित नामान्तरकरण सं. 4654 निस्तारित किया गया । उक्त नामान्तरकरण में आराजी सं. 4896/1 का नामान्तरकरण तो मुताबिक वसीयतानुसार निस्तारित किया गया, लेकिन आराजी सं. 231 का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर निस्तारित नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी सं. 231 रकबा 2.19 बीघा को वसीयतकर्ता जगन्नाथ की स्वअर्जित नहीं मानने तथा उक्त आराजी सं. 231 को पैतृक आराजी मान कर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण नहीं करने में भारी भूल की हैं । जबकि उक्त आराजी के पैतृक होने के बाबत् किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक कथन नहीं किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आराजी सं. 231 को पैतृक आराजी मानने में भारी भूल की है। उक्त आराजी सं. 231 रकबा 2.19 बीघा को वसीयतकर्ता जगन्नाथ पुत्र गौरू माली द्वारा उक्त आराजी के तत्कालिन खातेदार श्री मोहन लाल पुत्र रामगोपाल ब्राह्मण से सप्रतिफल विक्रय राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गयी । जिसका अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

सं. 1085 फैसल दिनांक 01.12.2008 को स्वयं तहसीलदार जहाजपुर द्वारा निस्तारित किया गया और आराजी सं. 231 को वसीयतकर्ता जगन्नाथ पुत्र गौरू माली के नाम दर्ज किया गया । इस प्रकार नामान्तरकरण रिकार्ड पर होने के बावजूद भी उक्त आराजी सं. 231 को पैतृक आराजी मानकर जगन्नाथ को वसीयत नहीं करने का अधिकार मान लेने में भारी भूल की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.03.2016 को जारीशुदा प्रमाणित प्रति पढ़ने पर हुयी । जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। कानूनी ऐतराज को रफा करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं. 4654 फैसल दिनांक 15.10.2015 को खारिज फरमाया जाकर मुताबिक वसीयतनुसार अपीलार्थीगण के नाम ही नामान्तरकरण फैसल करने हेतु आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपील मियाद बाहर पेश की हैं । अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही हैं । अपील खारिज फरमाया जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। ग्राम जहाजपुर में जगन्नाथ पुत्र गौरू माली के खातेदारी आ.नं. 231 रकबा 2.19 एवं आ.नं. 4896/1 रकबा 6.00 बीघा स्थित थी। जगन्नाथ द्वारा एक वसीयतनामा उपरोक्त आराजी बाबत् निष्पादित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत से नामान्तरकरण सं. 4092 दिनांक 09.01.2012 को निर्णित किया, जिसकी अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा मे हुयी। न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर वसीयतनामा को दृष्टिगत रखते हुये अजसरे नवनिर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। ग्राम जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 1084 में मोहनलाल पिता रामगोपाल ब्राह्मण सा.देह के नाम की आ.नं. 231 रकबा 2.19 बीघा भूमि बिकाव रजिस्टर्ड दिनांक 17.05.2018 से जगन्नाथ पिता गोरू माली सा.देह के नाम 01.12.2008 को तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जहाजपुर द्वारा दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार आराजी नं. 231 रकबा 2.19 बीघा भूमि जगन्नाथ पिता गोरू माली सा.देह की स्वअर्जित हैं। जबकि आराजी नं. 231 को पैतृक आराजी मानकर तहसीलदार जहाजपुर ने नामान्तरकरण सं. 4654 में रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 15.10.2015 को पारित कर दिये एवं उक्त नामान्तरकरण में 4896/1 रकबा 6.00 बीघा भूमि के संबंध में वसीयतनामा के आधार पर इन्द्राज करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पूर्ण पालना नही की। आराजी नं. 231 जगन्नाथ पिता गोरू माली सा.देह की स्वअर्जित होने से वसीयतनामा को दृष्टिगत रखते हुये तहसीलदार जहाजपुर को नामान्तरकरण कार्यवाही की जानी चाहिये। ग्राम जहाजपुर के आराजी नं. 231 के संबंध में नामान्तरकरण सं. 4654 में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 त्रुटिपूर्ण हैं। नामान्तरकरण सं. 4654 निर्णय आदेश दिनांक 15.10.2015 को अपास्त करते हुये तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त हैं। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले ग्राम जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 4654 निर्णय दिनांक 15.10.2015 के क्रम में स्वीकार की जाती है । ग्राम जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 4654 में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 को अपास्त किया जाता हैं एवं नामान्तरकरण सं. 4654 को तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि जगन्नाथ पिता गोरू माली सा.देह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा अनुसार जांचकर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.05.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा